

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर  
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13473/2022

फारुक राठौर प्रोप. ऑफ मेसर्स हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी, कर्मचारी कॉलोनी, गीगासर रोड,  
देशनोक, जिला बीकानेर 334801 (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

उप आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, संभाग - एफ, चेतन महादेव मंदिर के  
सामने, जयपुर रोड, बीकानेर 334001 (राजस्थान)

----प्रतिवादी

---

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री शफी मोहम्मद चौहान  
(वीसी के माध्यम से)  
श्री वी.आर. चौधरी

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मुकेश राजपुरोहित, डिप्टी एस.जी.

---

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी

माननीय श्री न्यायमूर्ति मुन्नुरि लक्ष्मण

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

15/04/2024

प्रति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, जे:

1. यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निम्नलिखित  
राहत का दावा करते हुए प्रस्तुत की गई है:

"अतः विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय  
न्यायाधीश कृपया इस रिट याचिका को स्वीकार करने तथा  
उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा अनुमति देने की कृपा  
करें:-

i) सीएसजीटी अधिनियम, 2017 (अनुबंध-3) की धारा  
129(3) के तहत जारी नोटिस को रद्द करना तथा अपास्त

करना अधिकार क्षेत्र से बाहर, अतिवादी, मनमाना, अनुचित तथा अतार्किक है।

ii) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 (अनुबंध-4) की धारा 129(3) के तहत पारित आदेश को रद्द करना और अपास्त करना, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर, अतिवादी, मनमाना, अनुचित और अतार्किक है।

iii) अपीलीय प्राधिकरण यानी अपर आयुक्त (अपील) जीएसटी, दिनांक 24.05.2022 (अनुबंध-7) के आदेश को रद्द करना और अपास्त करना।

iv) कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश, जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और मुनासिब समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता लौह वस्तुओं का डीलर है तथा देशनोक, जिला बीकानेर से अपना व्यवसाय संचालित करता है तथा याचिकाकर्ता-फर्म केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'सीजीएसटी अधिनियम, 2017' कहा जाएगा) के तहत पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या 08 बीएफडब्ल्यूपीआर 2595 एम 1 जेड 8 है। अपने व्यवसाय के दौरान, याचिकाकर्ता ने रु 9,43,993/- का सामान अर्थात् आयरन चैनल, बीम और एंगल्स को आर के स्टील्स, जयपुर से दिनांक 25.02.2021 को खरीदा तथा तदनुसार दिनांक 25.02.2021 को प्रातः 05:03 बजे ई-वे बिल संख्या 781176882246 (27.02.2021 तक वैध) जनरेट किया गया, जिसके पश्चात् उक्त माल को ट्रांसपोर्टर द्वारा एक अन्य महावीर आयरन स्टोर के माल के साथ ट्रक में लोड किया गया तथा वाहन ने खरीद दिनांक को देर शाम अपनी यात्रा प्रारंभ की।

2.1. हालांकि जयपुर से बीकानेर जाते समय ट्रक का टायर पंचर हो गया, जिसके कारण वाहन दिनांक 26.02.2021 को देर रात बीकानेर पहुंचा, जिसके कारण मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण महावीर आयरन स्टोर पर ट्रक को खाली करने में देरी हुई और इस प्रकार, 27.02.2021 को शाम 6 बजे ही खाली किया जा सका। इसके बाद, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि ट्रक दिनांक 27.02.2021 को देर शाम लगभग 9 बजे पहुंचेगा, लेकिन माल उतारने के लिए

मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण, यह निर्णय लिया गया कि ट्रक दिनांक 28.02.2021 को पहुंचे, इस प्रकार चालक रात के दौरान बीकानेर में ही रुक गया।

2.2. दिनांक 27.02.2021 की रात्रि को, वाहन (पंजीकरण संख्या आरजे 14 जीई 1832) का निरीक्षण, निरीक्षक, केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग द्वारा दिनांक 28.02.2021 को लगभग 12:44 बजे किया गया, जिसके दौरान, दस्तावेजों और माल की जांच की गई, हालांकि यह पाया गया कि ई-वे बिल की वैधता दिनांक 27.02.2021 को प्रातः 12 बजे समाप्त हो गई थी, और तदनुसार, कार्यवाही शुरू की गई और माल को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 68 (3) के तहत हिरासत में लिया गया।

2.3. तत्पश्चात, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129(3) के अंतर्गत एमओवी-07 के फॉर्म में दिनांक 01.03.2021 को उप आयुक्त, सीजीएसटी, डिवीजन-एफ, बीकानेर द्वारा याचिकाकर्ता और ड्राइवर दोनों को नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने माल की रिहाई के लिए कर और जुर्माना जमा किया और तदनुसार, प्रतिवादी ने दिनांक 01.03.2021 के आदेश के तहत माल को रिहा कर दिया; इसके बाद याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश के खिलाफ विद्वान जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील (सं.जीएसटी/बीके/16/IV/2021) पेश की और दिनांक 24.05.2022 के आदेश के तहत अपील खारिज कर दी गई। दिनांक 01.03.2021 के नोटिस एवं आदेश तथा दिनांक 24.05.2022 के अपीलीय आदेश से व्यथित होकर, उपर्युक्त राहत का दावा करते हुए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने जीएसटी के प्रावधानों विशेष रूप से सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138 ए का विधिवत अनुपालन किया है; इसके अलावा, ई-वे बिल जैसे अपेक्षित दस्तावेज माल के साथ थे और हालांकि इसकी समय सीमा 27.02.2021 को समाप्त हो गई थी, फिर भी अधिकतम दूरी यानी 361 किलोमीटर में से 331 किलोमीटर तय की गई थी।

3.1. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि चालक ने याचिकाकर्ता को देरी के बारे में सूचित किया था, हालांकि 27.02.2021 की रात के दौरान आवश्यक श्रमिक उपलब्ध नहीं थे, इसलिए अगली सुबह ट्रक को खाली करने का निर्णय लिया गया।

3.2. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि देरी याचिकाकर्ता और ड्राइवर दोनों के नियंत्रण से बाहर थी, इसलिए मात्र 44 मिनट की देरी पर याचिकाकर्ता पर कर

और जुर्माना लगाया गया; इसके अलावा, ई-वे बिल सरकार के राजस्व की रक्षा के लिए है और चूंकि माल पर पहले से ही जीएसटी लगाया गया था, इसलिए सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ।

3.3. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि दी गई परिस्थितियों में और याचिकाकर्ता के आचरण के अनुसार, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 (3) के तहत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था और इस प्रकार, आक्षेपित आदेश मनमाने हैं और कानून में उचित नहीं हैं।

3.4. इस तरह के तर्कों के समर्थन में विद्वान वकील ने श्री गोविंद अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य (आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 23835/2022, दिनांक 01.12.2022 को निर्णीत) के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि रायसर से बीकानेर की दूरी लगभग 20 किमी है, जिसे ट्रक द्वारा 30 मिनट में तय किया जा सकता है, तथापि ट्रक को उक्त दूरी तय करने में 12 घंटे से अधिक का समय लगा, इसके अतिरिक्त ई-वे बिल पोर्टल के अनुसार परिवहन करने वाला वाहन 26.02.2021 को शाम 7:14 बजे टोल प्लाजा, लखासर को पार कर गया था, तथा उक्त टोल प्लाजा और बीकानेर के बीच की दूरी 60-80 मिनट में तय की जा सकती है, अतः इस संबंध में याचिकाकर्ता का तर्क किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है।

4.1. विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को या तो ई-वे बिल की वैधता बढ़ाने के लिए आवेदन करना था या फिर यदि जगह उपलब्ध थी तो चालक को ट्रक को फर्म के परिसर में पार्क करना चाहिए था, लेकिन याचिकाकर्ता ने दोनों में से किसी भी विकल्प का सहारा नहीं लिया।

4.2. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के नियम 138 ए के अनुसार, वाहन के प्रभारी व्यक्ति को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे चालान या आपूर्ति बिल या डिलीवरी चालान और भौतिक रूप में ई-वे बिल की एक प्रति या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-वे बिल नंबर ले जाना आवश्यक था, और यद्यपि वाहन का चालक अपने साथ ई-वे बिल ले जा रहा था, लेकिन वह समाप्त हो चुका था, इसलिए याचिकाकर्ता का यह तर्क कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया था, मान्य नहीं है।

4.3. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि ई-वे बिल यह सुनिश्चित करने का एक तंत्र है कि परिवहन किए जा रहे माल जीएसटी कानून का अनुपालन करते हैं

और माल की आवाजाही को ट्रैक करने और कर चोरी की जांच करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है।

5. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और साथ ही मामले के रिकॉर्ड के साथ-साथ बार में उद्धृत निर्णय का अवलोकन किया।

6. यह न्यायालय देखता है कि याचिकाकर्ता-फर्म ने 25.02.2021 को आरके स्टील्स, जयपुर से उपरोक्त राशि के लिए लोहे की वस्तुएं खरीदीं और तदनुसार 27.02.2021 की समाप्ति तिथि के साथ एक ई-वे बिल बनाया गया, जिसके बाद माल को एक अन्य महावीर आयरन स्टोर के माल के साथ परिवहन के लिए एक ट्रक पर लोड किया गया; यात्रा के दौरान ट्रक का टायर पंचर हो गया, जिससे बीकानेर पहुंचने में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप देशनोक में रात में ट्रक को उतारने के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं हो सके, इसलिए बीकानेर में ही रुकने और 28.02.2021 की सुबह उतारने का काम करने का निर्णय लिया गया।

6.1. हालाँकि, 28.02.2021 को 12:44 बजे, इंस्पेक्टर, जीएसटी विभाग द्वारा एक निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि ई-वे बिल 44 मिनट पहले समाप्त हो गया था, और तदनुसार, विचाराधीन कार्यवाही शुरू की गई और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 (3) के तहत आक्षेपित नोटिस और आक्षेपित आदेश 01.03.2021 को जारी किया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा अपील पेश की गई, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24.05.2022 के आक्षेपित आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।

7. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहायक आयुक्त (एस.टी.) एवं अन्य बनाम स्टायम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य एस.एल.पी. (सी) संख्या 21132/2021 के मामले में पारित आदेश से अवगत है, जिसका निर्णय 12.01.2022 को हुआ, जिसका प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत है:

"6. ऐसा कहने के बाद, उच्च न्यायालय ने 69,000/- (उनसतर हजार रुपये) का कर और जुर्माना लगाने को खारिज कर दिया है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा चार सप्ताह के भीतर रिट याचिकाकर्ता को देय 10,000/- (दस हजार रुपये) की लागत लगाई है।

7. उच्च न्यायालय का विश्लेषण और तर्क हमारे लिए सराहनीय है, जब यह देखा गया कि उच्च न्यायालय ने सावधानीपूर्वक जांच की है और सही ढंग से पाया है कि रिट

याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई गलती या कर चोरी करने का इरादा नहीं लगाया जा सकता था। हालांकि, जैसा कि शुरू में टिप्पणी की गई थी, इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई लागत की राशि कम है। याचिकाकर्ता संख्या 2 के समग्र आचरण और रिट याचिकाकर्ता द्वारा सामना किए गए उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए, हम लागत की राशि को बढ़ाने के लिए आवश्यक पाते हैं।

8. . . . . जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि रिट याचिकाकर्ता की ओर से कर चोरी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि, रिट याचिकाकर्ता के नियंत्रण से परे कारणों से विचाराधीन माल को समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जा सका। जब आंदोलन के कारण यातायात अवरोध सहित निर्विवाद तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, तो यातायात के सुचारु मार्ग को प्रदान न करने के लिए अकेले राज्य ही जिम्मेदार रहता है।

12. यह याचिका पूर्वोक्त आवश्यकताओं के अधीन खारिज की जाती है।”

8. यह न्यायालय श्री गोविंद अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के प्रति भी सचेत है, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत है:

“6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर भी विचार किया है। हम धारा 129 पर गौर करते हैं, जो निम्नलिखित प्रावधान करती है:

“पारगमन में माल और वाहनों का निरूद्धीकरण, जब्ती और रिहाई

129(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी माल का परिवहन करता है या किसी माल का भंडारण करता है, तो उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले सभी माल और वाहन तथा ऐसे माल

और वाहन से संबंधित दस्तावेज निरुद्धीकरण या जब्ती के लिए उत्तरदायी होंगे और निरुद्धीकरण या जब्ती के पश्चात उन्हें छोड़ दिया जाएगा-

(क) ऐसे माल पर देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर जुर्माना अदा करने पर और छूट प्राप्त माल के मामले में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये के बराबर राशि का भुगतान करने पर, जो भी कम हो, जहां माल का मालिक ऐसे जुर्माने के भुगतान के लिए आगे आता है;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत या ऐसे माल पर देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर जुर्माना, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने पर, तथा छूट प्राप्त माल के मामले में, माल के मूल्य के पांच प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये के बराबर राशि, जो भी कम हो, का भुगतान करने पर, जहां माल का मालिक ऐसे जुर्माने के भुगतान के लिए आगे नहीं आता है;

(ग) खंड (क) या खंड (ख) के अंतर्गत देय राशि के समतुल्य प्रतिभूति ऐसे प्ररूप और तरीके से प्रस्तुत करने पर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि ऐसे किसी माल या वाहन को माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति पर निरोध या जब्ती का आदेश दिए बिना निरुद्ध या जब्त नहीं किया जाएगा।

(2) xxx xxx xxx

(3) माल या वाहन को निरुद्ध या जब्त करने वाला उचित अधिकारी ऐसे निरोध या जब्ती के सात दिन के भीतर एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें देय जुर्माना निर्दिष्ट किया जाएगा और उसके बाद, उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत जुर्माना के भुगतान के लिए ऐसे नोटिस की प्रस्तुति की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर एक आदेश पारित करेगा।

(4) उपधारा (3) के अन्तर्गत कोई भी पेनल्टी सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्धारित नहीं की जाएगी।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि के भुगतान पर उपधारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त मानी जाएंगी।

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अन्तर्गत पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर उपधारा (1) के अन्तर्गत शास्ति की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, वहां इस प्रकार रोके गए या जब्त किए गए माल या वाहन को उपधारा (3) के अन्तर्गत देय शास्ति की वसूली के लिए, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जा सकता है, बेचा या अन्यथा निपटाया जा सकेगा;

बशर्ते कि परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (93) के तहत जुर्माना या एक लाख रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान करने पर वाहन को छोड़ा जाएगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि जहां रोका गया या जब्त किया गया माल नाशवान या खतरनाक प्रकृति का है या समय बीतने के साथ उसके मूल्य में कमी आने की संभावना है, वहां पंद्रह दिन की उक्त अवधि को उचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकता है।"

7. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इस मामले में ई-वे बिल की वैधता 41 घंटे पहले ही समाप्त हो चुकी थी और संबंधित प्राधिकरण के माध्यम से परिवहन और पारगमन के माल की रिहाई की गई थी।

8. हम देख सकते हैं कि हिरासत इस आधार पर भी है कि माल ई-वे बिल संख्या की समाप्ति तिथि का है, जो पारगमन के दौरान समाप्त हो गई थी और यह वाहन ट्रक के साथ एम.एस. बिलेट को हिरासत में लेने और जब्त करने का आधार नहीं हो सकता है।

9. इस न्यायालय ने गोविंद टोबैको मैनुफैक्चरिंग कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [2022] 140 taxmann.com 383 (इलाहाबाद) में माना है कि चूंकि पारगमन पर ई-वे बिल की अवधि समाप्त हो जाती है, इसलिए उक्त वाहन और माल को जब्त करना कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। मेसर्स दया शंकर सिंह बनाम मध्य प्रदेश



राज्य में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में रिट याचिका संख्या 12324/2022 में 10.08.2022 को पारित किया गया था, जहां न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए हस्तक्षेप किया था कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता की ओर से धोखाधड़ी के इरादे या लापरवाही से कर की चोरी का कोई तत्व स्थापित नहीं कर सका। ई-वे बिल समाप्त होने से पहले लगभग 4½ घंटे की देरी हुई। यह बिना किसी धोखाधड़ी के इरादे को स्थापित किए हुए सद्भावनापूर्ण प्रतीत हुआ। यहां भी यही पाया गया है कि ऐसा करने के पीछे कोई धोखाधड़ी का इरादा नहीं है।

10. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है। 7,53,364/- रुपये की राशि की मांग करने वाले दिनांक 04.11.2022 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है। दिनांक 19.10.2022 के हिरासत आदेश के साथ-साथ अधिनियम की धारा 129(3) के तहत जारी नोटिस को भी रद्द किया जाता है और उसे अपास्त किया जाता है।”

9. इस मोड़ पर, यह न्यायालय माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा मेसर्स दया शंकर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (रिट याचिका संख्या 12324/2022, दिनांक 10.08.2022) के मामले में दिए गए निर्णय के प्रासंगिक अंश को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

“21. पक्षों के उपरोक्त रुख के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का ई-वे बिल 19/05/2022 तक वैध था और ट्रक को 20/05/2022 को सुबह 4.35 बजे डिंडोरी में रोका गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह विशिष्ट तर्क कि उनकी ओर से कर चोरी, धोखाधड़ी की मंशा और लापरवाही का कोई तत्व नहीं था, प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा खंडन नहीं किया गया। (2021) 5 जीएसटीजे ऑनलाइन 174 (टीजी) सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, एसटी और अन्य (डब्ल्यू.पी. संख्या 9688/2020) में तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक पैरा को फिर से प्रस्तुत करना उचित है, जो इस प्रकार है:-

“42. द्वितीय प्रतिवादी ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि याचिकाकर्ता केवल इसलिए कर चोरी कर रहा है क्योंकि ई-वे

बिल की अवधि समाप्त हो गई है, यह भी प्रति-शपथपत्र में कहीं नहीं बताया गया है। हमारी राय में, द्वितीय प्रतिवादी के समक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि याचिकाकर्ता केवल ई-वे बिल में उल्लिखित समय की समाप्ति के कारण कर की चोरी कर रहा था क्योंकि यहां तक कि द्वितीय प्रतिवादी ने भी यह नहीं कहा कि 6.1.2020 को किसी और को माल बेचने के प्रयास का कोई सबूत था। याचिकाकर्ता या ऑटो ट्रॉली चालक द्वारा ई-वे बिल की वैधता का विस्तार न करने के कारण, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कर चोरी करने का इरादा था।"

(जोर दिया गया)

23. तेलंगाना उच्च न्यायालय के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष परीक्षण के लिए रखा गया तथा सर्वोच्च न्यायालय ने (2022) 7 जीएसटीजे ऑनलाइन 16 (एससी), सहायक आयुक्त (एसटी) एवं अन्य बनाम सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य में निम्नलिखित राय व्यक्त की:-

"8. हमारे द्वारा ये टिप्पणियां किए जाने के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि इस मामले में तेलंगाना माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 के संचालन और प्रभाव तथा रिट याचिकाकर्ता द्वारा उल्लंघन के संबंध में कानून के प्रश्न खुले रखे जा सकते हैं। प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तुतीकरण तथ्य के प्रश्न को भी जन्म नहीं देते हैं, कानून के प्रश्न के बारे में क्या कहा जाए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि रिट याचिकाकर्ता की याचिका पर कर चोरी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि, विचाराधीन माल को रिट याचिकाकर्ता के नियंत्रण से परे कारणों से समय के भीतर गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जा सका। जब आंदोलन के कारण यातायात अवरोध सहित निर्विवाद तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, तो यातायात के सुचारु मार्ग को प्रदान न करने के लिए अकेले राज्य जिम्मेदार रहता है।"

(जोर दिया गया)

24. इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय ने (2022) 7 जीएसटीजे ऑनलाइन 78 (कैल), अशोक कुमार सुरेका बनाम सहायक आयुक्त, राज्य कर, दुर्गापुर रेंज में निम्नांकित राय व्यक्त की:-

"2. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने अपीलीय आयुक्त के दिनांक 18 मार्च, 2021 के आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 11 सितंबर, 2019 के मूल आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें इस आधार पर माल को हिरासत में लिया गया था कि संबंधित माल से संबंधित ई-वे बिल की वैधता एक दिन पहले यानी 8 सितंबर, 2019 की मध्यरात्रि को समाप्त हो गई थी और माल को 9 सितंबर, 2019 की सुबह इस आधार पर हिरासत में लिया गया था कि ई-वे बिल की वैधता अवधि समाप्त हो गई है, जो कि एक दिन से भी कम है और विस्तार नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि ई-वे बिल की वैधता अवधि समाप्त होने में कुछ घंटों की देरी, यहां तक कि एक दिन से भी कम समय की देरी जानबूझकर और स्वेच्छा से नहीं की गई थी और यह संबंधित वाहन के खराब होने के कारण हुई थी और याचिकाकर्ता की ओर से कर चोरी का कोई इरादा नहीं था।

3. याचिकाकर्ता ने अपने तर्क के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 12 जनवरी, 2022 के अप्रकाशित निर्णय पर भरोसा किया है, जो विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 21132/2021 (सहायक आयुक्त (एसटी) एवं अन्य बनाम सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य) में पारित किया गया था।

4. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता के खिलाफ यह मामला नहीं बना सके कि उपरोक्त उल्लंघन जानबूझकर और स्वेच्छा से किया गया था या किसी विशिष्ट सामग्री के साथ कि याचिकाकर्ता का इरादा कर चोरी करना था।

5. पक्षों की दलीलों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका, जो कि WPA संख्या 11085/2021 है, का निपटारा अपीलीय प्राधिकरण के दिनांक 18 मार्च, 2021 के विवादित आदेश और न्यायाधिकरण के दिनांक 11 सितंबर, 2019 के आदेश को रद्द करके किया जाता है और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता सभी कानूनी औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन विरोध पर भुगतान किए गए जुर्माने और कर की वापसी पाने का हकदार होगा।"

(जोर दिया गया)

25. हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों में पर्याप्त बल पाते हैं कि वर्तमान मामला तेलंगाना और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए उपरोक्त मामलों से मिलता-जुलता है। प्रतिवादी यह साबित नहीं कर सके कि याचिकाकर्ता की ओर से कर चोरी, धोखाधड़ी का इरादा या लापरवाही का कोई तत्व मौजूद है। इस पृष्ठभूमि में, आक्षेपित नोटिस/आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

26. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अधिनियम की धारा 126(1) (3) में वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है और वे इसमें अंतर्निहित हैं। विधि निर्माताओं ने धारा 126 की उपधारा (1) को कानून की किताब में लाते समय आनुपातिकता के सिद्धांत का ध्यान रखा है। धारा 126 की उपधारा (1) के अनुसार, उल्लंघन के अनुरूप दंड दिया जाना विधायी आदेश है।

27. वर्तमान मामले में, लगभग 4:30 घंटे की देरी जिसके पहले ई-वे बिल समाप्त हो गया था, सद्भावनापूर्ण प्रतीत होता है और याचिकाकर्ता की ओर से धोखाधड़ी के इरादे और लापरवाही को स्थापित किए बिना, आक्षेपित नोटिस/आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

10. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि याचिकाकर्ता की एकमात्र गलती यह थी कि परिवहन किए जा रहे माल के संबंध में ई-वे बिल निरीक्षण से 44 मिनट पहले समाप्त हो गया था, क्योंकि टायर पंचर होने के कारण देरी हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ता या ट्रक के चालक में से किसी की कोई गलती नहीं थी,

इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की ओर से कर चोरी या कोई धोखाधड़ी करने का इरादा था; एकमात्र मुद्दा ई-वे बिल की समाप्ति और उसका नवीनीकरण न करने का था। यह विवाद का विषय नहीं है कि सीजीएसटी/एसजीएसटी के शासन के तहत सभी करों का भुगतान किया गया था।

10.1. यह न्यायालय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 के प्रति सचेत है, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत है:

धारा 122. कुछ अपराधों के लिए दंड।

(1) जहां कोई कराधीन व्यक्ति जो--

.....

(xiv) इस संबंध में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कोई कराधीन माल परिवहन करता है;

.....

दस हजार रुपए का जुर्माना या धारा 51 के तहत कर चोरी या कम कटौती या सरकार को भुगतान न किए गए कर या धारा 52 के तहत कर संग्रह न किए गए या कम संग्रह या संग्रह लेकिन सरकार को भुगतान न किए गए कर या अनियमित रूप से प्राप्त या पास किए गए या वितरित किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट या धोखाधड़ी से दावा किए गए रिफंड के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि आक्षेपित नोटिस जारी किया गया था और आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2021 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 (3) के तहत पारित किया गया था, जो कानून की नजर में पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि मुद्दा ई-वे बिल न होने का नहीं था, बल्कि मौजूदा ई-वे बिल में से एक की पारगमन के दौरान समाप्ति का था, इस प्रकार एक मामूली अपराध के लिए इतना भारी जुर्माना लगाना अस्वीकार्य है और लगाया गया जुर्माना सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 के अनुसार 10,000/- रुपये होना चाहिए था, क्योंकि कर चोरी का कोई स्पष्ट मामला नहीं है।

12. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ-साथ पूर्वोक्त पूर्ववर्ती कानूनों को देखते हुए, यह न्यायालय इस राय पर है कि और दिनांक 01.03.2021 के आक्षेपित नोटिस और

24.05.2021 के आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने और अपास्त किए जाने योग्य हैं और उन्हें निरस्त किया जाता है और अपास्त किया जाता है। यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही कर का भुगतान कर दिया है और हिरासत में लिए गए माल को छोड़ने के लिए जुर्माना भी चुकाया है, इसलिए इसे याचिकाकर्ता को वापस किया जाना चाहिए, जबकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 के तहत 10,000/- रुपये का जुर्माना समायोजित/कटौती करते हुए, इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर।

13. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

(मुन्नुरि लक्ष्मण), जे

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।